कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

पत्रांक –3177 / 2ई0व0भू0, दिनांक 27-12-17

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,

बागेश्वर।

विषय :– जनपद बागेश्वर में देवलधार–मैथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव संख्या– 10903 / 2015)

सन्दर्भ :– Online Objection Dated 18.08.2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर ऑन लाइन अपलोड कर दिया गया है सुलभ संदर्भ हेतु निम्नवत प्रेषित है :–

क्र0सं0	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	In reply to point no.6 of EDS, it is mentioned that the revised cost benefit analysis has been uploaded at para-G (a) but it is seen from the documents uploaded that the monetary figures given in Annexure-VI (b) i.e. parameters for evaluation of loss of forests and Annexure-VI (c) i.e. parameters for evaluation of benefits notwithstanding loss of forests do not tally with the monetary figures given in the cost benefit ratio calculation sheet. This discrepancy in the monetary figures is required to be removed by the State Government.	Annexure-VI (b) parameters for evaluation of loss of forests and Annexure-VI (c) parameters for evaluation of benefits notwithstanding loss of forests has been corrected and uploaded at para-G(a).
2	In reply to point no.7 of EDS, it is mentioned that the justification for locating the project in the forest land has been uploaded in Part-I but the document has not been found uploaded at para-D (i) instead a google earth map showing the proposed road has been uploaded at para-D- (i). Justification has been found uploaded as additional document in Part-I. State Govt. is requested to upload the justification at designated place in Part-I online.	Justification for locating the project in the forest land has been uploaded in part-I at para-D(i).
3	In reply to point no. 10 of EDS, it is mentioned that the CA scheme for 13.995 ha has been uploaded but the CA scheme has not been found uploaded at para- 13 (vii) of online Part-II. However, the CA scheme for 13.995 ha has been found uploaded at S.No. 17 of additional documents in Part-I. Moreover, the geo referenced digital map and the map in Survey of India toposheet showing CA area uploaded at para-13 (ii) & (iii) of Part-II are different from the maps uploaded at para-L of online Part-I. State Govt. may upload the CA scheme and the correct maps at designated places in online Part-II	Action taken by DFO.
4	The forest land proposed for diversion comes to 6.9975 ha but the area of forest land is mentioned as 6.9915 ha by the DC in the FRA certificate. State Govt. may submit the FRA certificate after mentioning the correct area.	New FRA certificate after mentioning the correct area has been uploaded for 6.9975 ha. Instead of 6.9915 ha.
5	It is seen from the muck dumping plan that the muck is proposed to be disposed of at 5 sites in RF land and 3 sites in State Land but this land has not been included in the forest land proposed for diversion. State Govt. may clarify this discrepancy and submit revised proposal after including the forest land required for muck disposal, if necessary.	In the proposal 9 mtr width is taken in land schedule, the road will be constructed approx. within the width of 6 mtr, the muck will be disposed within 3 mtr width after construction of RR Dry wall which land is included in land schedule.
6	It is seen from DSS analysis of the proposed CA area that this land overlaps with the CA land proposed against proposal no. FP/UK/ROAD/10143/2015, FP/UK/ROAD/12464/2015 & FP/UK/ROAD/11032/2015. The State Govt. may review the position and change the CA area and submit all necessary documents for the new area to be proposed for CA.	New CA map has been prepared & uploaded in part-I.
7	The no. of trees per hectare comes to 42 trees and the density is mentioned as 0.3 which does not appear to be correct. Moreover, NPV rate has been charged for the dense forest category @ of 8.45 lakh per hectare in Eco class- V which is not correct rate keeping in view the density of 0.3 (open forest). State Govt. may reviewed the density and the NPV rate to be charged and submit revised NPV calculation mentioning density, eco class & rate etc.	Action taken by DFO.
8	It is seen from the data given in para-14 i.e. the district profile that the progress of CA (1315.278 ha) is equivalent to the CA stipulated (1315.278 ha). State Govt. may confirm the data.	Action taken by DFO.
9	State Govt. may submit original copies of the geo referenced digital map of the proposed road as well as the land proposed for CA for placing in the hard copy of the proposal	Original copies of the geo referenced digital map of the proposed road has been submitted at Nodel Officer Deharadun vide this office letter no. 3081/2ई0व0भू0 Dtd 21.12.2017

अतः तदनुसार सूचना अपने स्तर से भी Upload कराने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता

प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0

बागेश्वर

डिजिटल मैप – जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत देवलधार–मैथान–लेटी–गिरेछिना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम दुलम, क्षे0–13.995 है0

0 0.5 1 1.5 Km

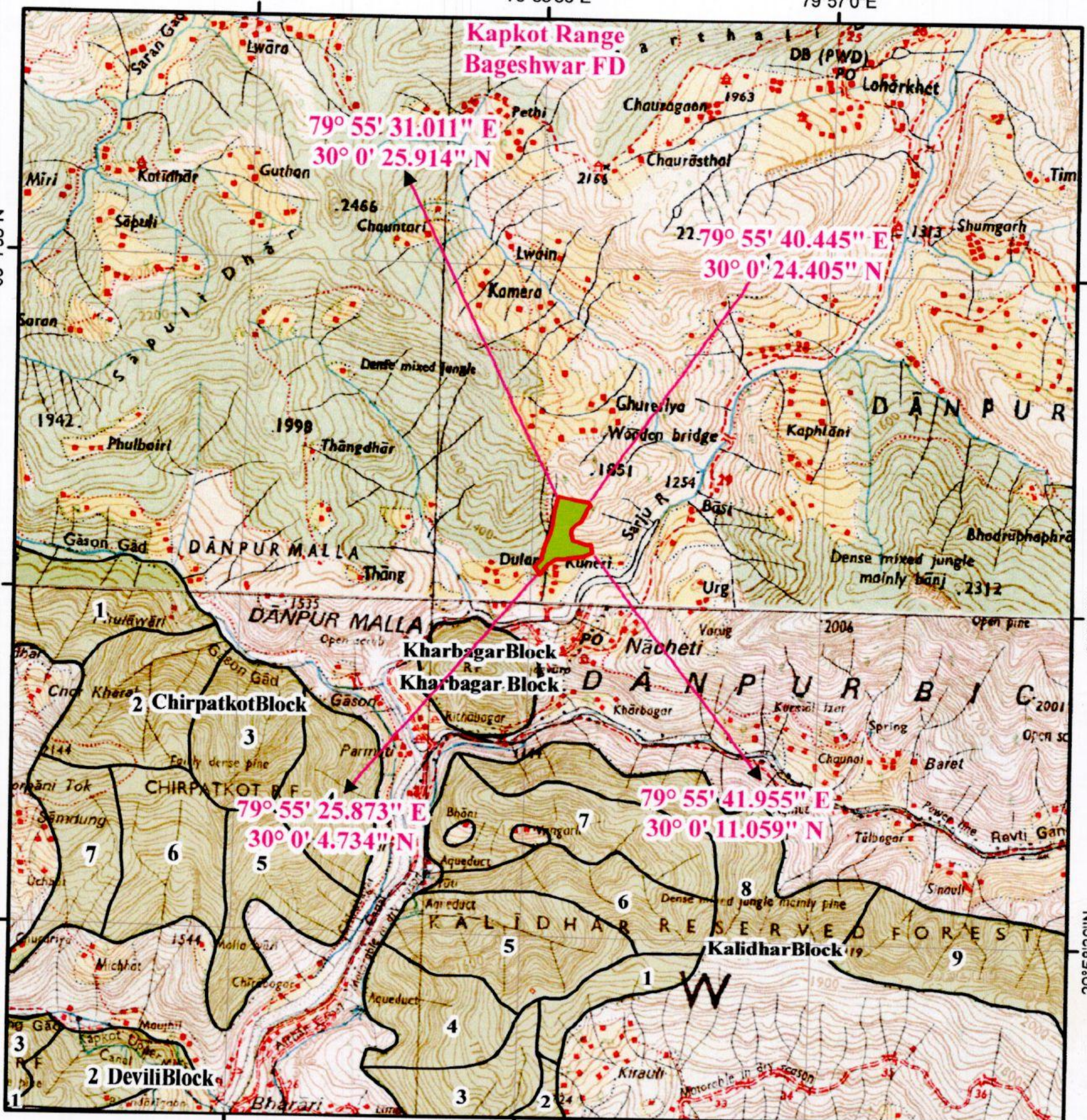

Legend

- Proposed Plantation
- Researve Forest Area
- Researve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

सहायक अभियन्ता
प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

जीयोरेफेरेन्स मैप –जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत देवलधार–मैथान–लेटी –गिरेछिना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम दुलम, क्षे0–13.995 है0

0 95 190 380 M

Scale - 1:5,000

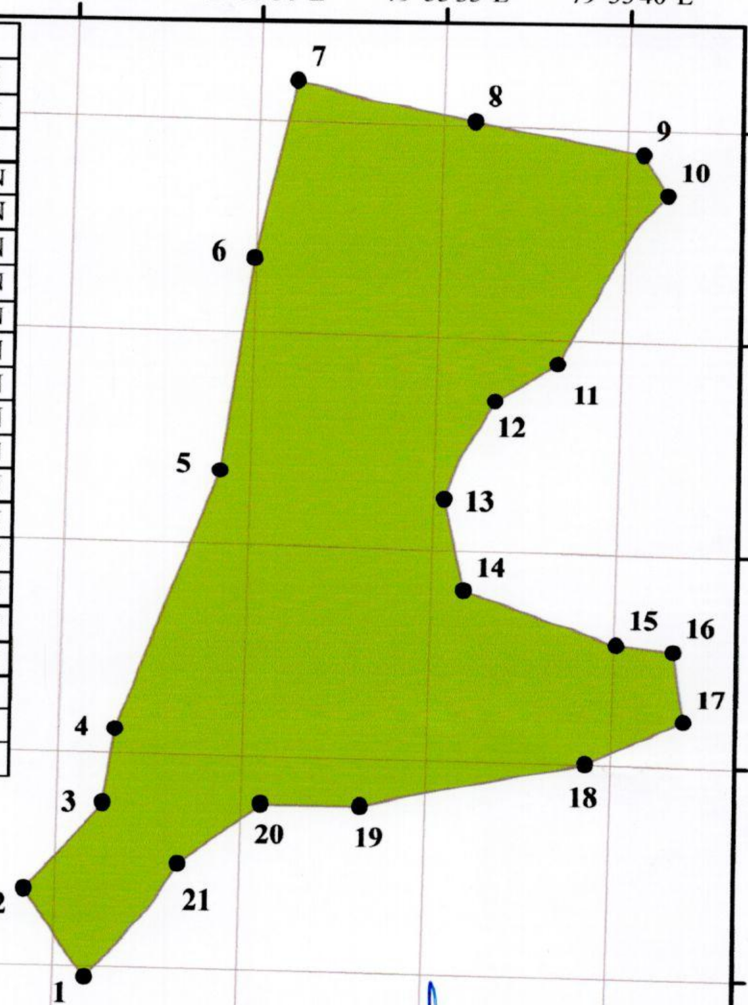

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79° 55' 25.873" E	30° 0' 4.734" N
2	79° 55' 24.168" E	30° 0' 6.748" N
3	79° 55' 26.249" E	30° 0' 8.796" N
4	79° 55' 26.540" E	30° 0' 10.581" N
5	79° 55' 29.190" E	30° 0' 16.692" N
6	79° 55' 29.977" E	30° 0' 21.750" N
7	79° 55' 31.011" E	30° 0' 25.914" N
8	79° 55' 35.858" E	30° 0' 25.107" N
9	79° 55' 40.445" E	30° 0' 24.405" N
10	79° 55' 41.142" E	30° 0' 23.433" N
11	79° 55' 38.268" E	30° 0' 19.447" N
12	79° 55' 36.612" E	30° 0' 18.513" N
13	79° 55' 35.286" E	30° 0' 16.167" N
14	79° 55' 35.884" E	30° 0' 14.046" N
15	79° 55' 40.065" E	30° 0' 12.881" N
16	79° 55' 41.629" E	30° 0' 12.749" N
17	79° 55' 41.955" E	30° 0' 11.059" N
18	79° 55' 39.310" E	30° 0' 10.027" N
19	79° 55' 33.231" E	30° 0' 8.876" N
20	79° 55' 30.545" E	30° 0' 8.863" N
21	79° 55' 28.338" E	30° 0' 7.402" N

सहायक अभियन्ता
प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

Legend

- GPS Coordinates
- Proposed CA Land

79°55'15"E 79°55'20"E 79°55'25"E 79°55'30"E 79°55'35"E 79°55'40"E

1.6

प्रपत्र–30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No- memo Dated- 11-12-17

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **6.9975 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Dewaldhar-Maithan-Leti-Girachhana motor road** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of Dewaldhar (Bankhand), Leti & Chauhana village in **Bageshwar** Tehsil.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **6.9975 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committe(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23-3.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Signature

Dated 11-12-17

(Ranjana Rajguru)

District Collector जिलाधिकारी

Seal बागेश्वर

(Full name and official seal of the District Collector)

(1.6)

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवलधार– माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम देवलधार (आगर)
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (5.40 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.891 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.7065 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 6.9975 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत आगर द्वारा दिनांक 19.02.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम देवलधार एवं जिलाकोटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

प्रधान
ग्राम पंचायत आगर
ब्लॉ0-जनौटी पालड़ी
वि0ख0 व जनपद-बागेश्वर
ग्राम प्रधान

ह0/
ग्राम सचिव

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

(16)

प्रपत्र–23.1

दिनाक 19.02.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible] (आगर)

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	अनीता देवी w/o जगदीश प्रसाद (वार्ड मेम्बर)	अनीता देवी
2.	सविता देवी w/o राजेश कुमार —"—	सविता देवी
3.	कैलाश चन्द्र s/o मनोहर लाल —"—	Kailash [illegible]
4.	हेमा देवी w/o बंशीधर —"—	हेमा देवी
5.	मनोहर लाल s/o [illegible] —"—	Manohar [illegible]

प्रधान
ग्राम पंचायत आगर
ग्रा0-जनौटी पालड़ी
वि0ख0 व जनपद-बागेश्वर

16

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ....पालड़ीबगड़
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (5.40 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.891 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.7065 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 6.9975 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत — द्वारा दिनांक 30.02.15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। एवं कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बगड़ एवं ....—........ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

प्रधान
ग्राम पंचायत पालड़ीबगड़
पो0 जनौटी पालड़ी वि0ख0–बागेश्वर

ह0 /
ग्राम सचिव

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–23.1

दिनांक 20.02.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत पालड़ीबगड़

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	विनोद कुमार S/o भुवन राम (वार्ड मेम्बर)	[signature]
(2)	कलावती देवी W/o किशन राम — ,, —	कलावती देवी
(3)	अनीता देवी W/o सुरेन्द्र सिंह — ,, —	अनीता देवी
(4)	आनुली देवी W/o धन सिंह — ,, —	अनुली देवी
(5)	नन्दन सिंह S/o आन सिंह — ,, —	Nandl
	[signature] प्रधान ग्राम पंचायत पालड़ीबगड पो0 जनौटी पालडी वि0ख0–बागेश्वर	

1.6

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम लेटी
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (5.40 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.891 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.7065 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 6.9975 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लेटी द्वारा दिनांक .... को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लेटी... एवं .....—.......के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0 /
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सभा- लेटी
वि0ख0 व जनपद-बागेश्वर
उत्तराखण्ड

ह0 /
ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत-लेटी
वि0ख0 बागेश्वर
उत्तराखण्ड

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनाक 2.02.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत लेटी

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	रेखा देवी w/ जगदीश सिंह (वार्ड मेम्बर)	रेखा देवी
2.	किशन सिंह s/ बचे सिंह — " —	[illegible]
3.	माधवी देवी w/ श्याम सिंह — " —	माधवी देवी
4.	पानुली देवी w/ कुन्दन सिंह — " —	पानुली देवी
5.	भूपाल सिंह s/ जीवन सिंह — " —	[illegible]
6.	गोविन्द सिंह s/ विजय सिंह (पूर्व प्रधान)	[illegible]
7.	सरूली देवी w/ गोविन्द सिंह (— " —)	सरूली देवी

 1.6

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ...जौलांना...
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (5.40 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.891 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.7065 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 6.9975 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जौलांना द्वारा दिनांक 28/2/15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जौलांना.... एवं नकुड़ी.........के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0 /
ग्राम सचिव

ह0 / [signature]
ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत जौलांना, पो0 डोबा
वि0ख0 व जनपद- बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

(1.6)

प्रपत्र–23.1

दिनाक 28/2/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चौहाना

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1)	बहादुरसिंह S/o नारायणसिंह	बहादरसिंह
2)	गंगासिंह S/o हरक सिंह	गंगा सिंह
3)	रमेशसिंह S/o पदमसिंह	रमेशसिंह
4)	पदमसिंह S/o जोगासिंह	पदमसिंह चौदला
5)	हीरासिंह S/o गोविन्दसिंह	[illegible]
6)	सजनराम S/o मोती राम	[illegible]
7)	मैनासिंह " त्रिलोक सिंह	
8)	महेशसिंह S/o भगवानसिंह	सजन राम
9)	अमरसिंह S/o उत्तमसिंह	मैनासिंह
10)	दिनेशसिंह S/o खीमसिंह	[illegible]
11)	भुवनसिंह S/o तेजसिंह	अमर सिंह
12)	हीरा सिंह S/o तेजसिंह	[illegible]
13)	आनन्दसिंह S/o गोविन्द सिंह	[illegible]

14 पूरनसिंह S/o शेरसिंह

हीरा सिंह

आनन्द सिंह

पूरनसिंह

प्रधान [signature]
ग्राम पंचायत चौहाना, पो० डांगा
वि०ख० व जनपद बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति– बागेश्वर

उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (5.40 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.891 है0, सिविल सोयम वन भूमि, 0.7065 है0, वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 6.9975 है0 वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील बागेश्वर की दिनांक 28.02.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समति की बैठक श्री फिचाराम चौहान, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री फिचाराम चोहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4–	श्रीमती [illegible]	बी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible]	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 6.9975 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

1.6

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 6.9975 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–23.3

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1–	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3–	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 28.02.2015 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के प्रमाण पत्र दिनांक 28.02.2015 द्वारा देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण के लिए 6.9975 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण के लिए 6.9975 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण के लिए 6.9975 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर	जिलाधिकारी बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 6.9975 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

दिनांक 02-03-2015

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोटः– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।

सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाइन, ओ.एफ.सी. केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने है। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र– 23.4

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित देवलधार– माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 6.9975 हैक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता ऐजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/ 98– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा– सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

स्थान –बागेश्वर
दिनांक 11-12-17

(रंजना राजगुरु)
जिलाधिकारी
बागेश्वर जिलाधिकारी
मुहर बागेश्वर